जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत टीचर्स कॉलोनी स्थित एम्बीशन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड़ फाईनेंस कम्पनी कार्यालय में हुई लूट की घटना का अल्प समयावधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 03 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी शत-प्रतिशत धनराशि 4,04,110/- रुपये बरामद।

आज दिनांक 06.09.2024 को 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत टीचर्स कालोनी गली नं0 01 स्थित एम्बीशन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड़ फाईनेंस कम्पनी के कार्यालय में घुसकर कार्यालय में मौजूद ब्रांच सहायक के चेहरे पर स्प्रे ड़ालकर अलमारी में रखे 4,04,110/- रुपये लूट किये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फोरेंसिक टीम व थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सम्बन्ध में ब्रांच असिस्टेंट (एकाउटेंट) प्रशान्त शर्मा पुत्र श्री नरेश शर्मा निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर निर्देश निर्गत किये गये।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत टीचर्स कॉलोनी स्थित एम्बीशन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड़ फाईनेंस कम्पनी कार्यालय में हुई लूट की घटना का अल्प समयावधि में सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 03 लूटेरे को लूटी गयी शत-प्रतिशत धनराशि 4,04,110/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः-घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य शर्मा नें बताया कि मेरा भाई प्रशान्त शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली एम्बीशन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड़ फाईनेंस कम्पनी में ब्रांच असिस्टेट(एकाउंटेट) का कार्य करता है। प्रशान्त विदेश जाना चाहता था जिसके चलते एक सप्ताह पूर्व हम सभी ने साथ मिलकर कलेक्शन के इक्ठ्ठा हुये पैसो को लूटने की योजना बनायी थी। इसी उद्देश्य से आज मैं तथा सन्नी व नितिन तीनो कम्पनी के कार्यालय पहुँचे तथा योजनानुसार प्रशान्त के चेहरे पर स्प्रे डालकर लूट का नाटक कर अलमारी से रुपये लेकर चले गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.आदित्य शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।(वादी का भाई)

2.सन्नी कुमार पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम झाल थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.नितिन पुत्र स्वराज सिंह निवासी ग्राम भनेड़ा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटी गयी शत-प्रतिशत धनराशि 4,04,110/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.श्री समयपाल अत्री थानाध्यक्ष कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.है0का0 सोहित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 05.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के अन्य साथी सरताज को दिनाँक 24.02.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.01.2024 को श्री नूरदीन पुत्र रशीद निवासी ग्राम जिड़ाना थाना कांधला जनपद शामली की बकरियों को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शाहआलम पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला घासमण्डी कस्बा लावड़ थाना इंचौली जनपद मेरठ हाल पता माधोपुरम थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
2.है0का0 विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
3.है0का0 धीरेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
4.है0का0 सतीश कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से देशी शराब बरामदः-

आज दिनांक 06.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निर्देशन व कुशल नेतृत्व में थाना बाबरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 20 पव्वे देशी शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सिकंदर पुतर रणधीरा निवासी ग्राम हाथी करौंदा थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.देशी शराब 20 पव्वे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनोद राघव थाना बाबरी जनपद शामली।

2.का0 अरुण कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलाउद्दीनपुर में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 14.08.2024 को वादिया श्रीमती प्रतिमा पत्नी रवि निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के पति रवि के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली गलौच व धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अलाउद्दीनपुर में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दरियाव पुत्र भवानी निवासी ग्राम अलाउद्दीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 326 /2024 धारा 115(2)/118(1)/352/110 बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 योगेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 संजीव कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 06.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.वासिद पुत्र राशिद निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।

2. रिजवान पुत्र राशिद निवासी ग्राम व थाना बाबरी जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 08 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा एवं 13,400/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2020 में अभियुक्त रामबीर पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 71/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 03 महामारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय बैठने तक की सजा व 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 1999 में अभियुक्तगण 1.नन्दू पुत्र सोभाराम 2.बलबीर पुत्र दिन्ना 3.रामू उर्फ सूर्यप्रताप पुत्र बलबीर निवासीगण ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 68/1999 धारा 147/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय बैठने तक की सजा व 1,800-1,800/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 2001 में अभियुक्तगण 1.कंवरपाल पुत्र कदम सिंह 2.संजय पुत्र कदम सिंह निवासीगण ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 153/2001 धारा 323/504 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना, शामली द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000-1,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 1999 में अभियुक्त साजिद पुत्र नजर निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 120/1999 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2020 में अभियुक्त राशिद पुत्र राजूशेख निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 143/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण -

1.रामबीर पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम बुटराड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।
2.नन्दू पुत्र सोभाराम निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
3.बलबीर पुत्र दिन्ना निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
4.रामू उर्फ सूर्यप्रताप पुत्र बलबीर निवासी ग्राम गढ़ी अब्दुल्ला थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली।
5.कंवरपाल पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली।
6.संजय पुत्र कदम सिंह निवासी ग्राम खेड़ा कुरतान थाना कांधला जनपद शामली।
7.साजिद पुत्र नजर निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
8.राशिद पुत्र राजूशेख निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI